न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :— 07/2021

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनू ।

—बनाम—

राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपुत, निवासी गोविन्ददासपुरा तन त्यौंदा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ————————सरकार की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 03.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 01.01.2021 को गैर सायल राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपुत, निवासी गोविन्ददासपुरा तन त्यौंदा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपुत, निवासी गोविन्ददासपुरा तन त्यौंदा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है। जो अवैध शराब का धन्धा करता है जिससे युवा पीढी में नशे की लत होने का भय है। इसने कस्बा खेतड़ी व आस—पास के इलाके में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ रही हैं, इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 2 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। इसके [illegible] सीमाओं में रहने से अपराधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.07 18:39:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अभियोग संख्या 444/18 दिनांक 27.09.18 धारा 19/54 आबकारी अधि0 थाना खेतड़ी, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 284 दिनांक 29.09.18 को न्यायालय श्रीमान अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये दिनांक 17.01.19 को 1200 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

2. अभियोग संख्या. 507/18 दिनांक 03.11.18 धारा 19/54 आबकारी अधि0 थाना खेतड़ी, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 331 दिनांक 27.11.18 को न्यायालय श्रीमान अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये दिनांक 26.02.19 को 1000 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपुत, निवासी गोविन्ददासपुरा तन त्यौंदा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 14.09.2021 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना खेतड़ी, झुंझुनू में 2 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं जिनमें से दोनो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। इस प्रक[illegible]गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित [illegible] 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जि[illegible] [illegible]सित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.07 18:39:06
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपुत, निवासी गोविन्ददासपुरा तन त्यौंदा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना खेतड़ी, झुंझुनू में कुल 2 अभियोग दर्ज हुए तथा गैर सायल को दोनो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। अतः गैर सायल राजेश सिंह राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नही है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (II) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल मुताबिक राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपुत, निवासी गोविन्ददासपुरा तन त्यौंदा, पुलिस थाना खेतड़ी, को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैरसायल मुताबिक राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपुत, निवासी गोविन्ददासपुरा तन त्यौंदा, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनू, को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना नीम का थाना [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर सायल मुताबिक राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपुत, निवासी गोविन्ददासपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.07 18:39:06 IST
Reason: SelfAttested

तन त्यौंदा, पुलिस थाना खेतड़ी, उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि मे जहाँ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना नीम का थाना, जिला सीकर को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थानाधिकारी पुलिस थाना खेतड़ी को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना खेतड़ी झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 03.12.2021 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.07 18:39:06 IST
Reason: SelfAttested